न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बारां (राज०)

गुण्डा एक्ट 4

प्र.सं. 12/2024 पंजीकरण क्रमांक 2024/62

13-1-26

13.01.2026 पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 19.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रकरण में गैरसायल को आदिनांक तक 25 बार सम्मन जारी कर एस.एच.ओ., छीपाबड़ौद के जरिये तलब किया गया। प्रकरण में थानाधिकारी छीपाबड़ौद द्वारा गैरसायल राजकुमार उर्फ गोलू पुत्र कालूराम राठौर निवासी यादव मोहल्ला, छीपाबड़ौद की प्रोपर तामील आदिनांक तक नहीं करवाई गई। प्रकरण में जारी नोटिस क्रमांक/रीडर II/2025/966 दिनांक 17.12.2025 से गैरसायल को दिनांक 13.01.2026 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था। थानाधिकारी, छीपाबडौद द्वारा इस रिपोर्ट के साथ वापिस भिजवाया कि गैरसायल के पिता कालूराम व पड़ौसियों से जानकारी चाही तो बताया कि 02 साल से कहीं बाहर रहता है जिसका कोई अता–पता नहीं है, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में मूल इस्तगासा थानाधिकारी छीपाबड़ौद द्वारा गैरसायल को सम्मन की प्रोपर तामील नहीं करवाने के अभाव में जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां को जरिये पत्र वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तामील तकमील अभिलेखभंडार में प्रविष्ठ हो।

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बाराँ